



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48153

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3269 वर्ष 2026

नितिन कुमार

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: मनोज पाठक
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज पाठक तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. याची का कथन है कि उसकी माता श्रीमती रामेश्वरी देवी, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बरखेड़ा, पीलीभीत में एल.एच.वी. के पद पर कार्यरत थीं, का दिनांक 01.08.2011 को निधन हो गया। तत्पश्चात याची द्वारा उत्तराधिकार वाद संख्या 72 वर्ष 2012 तथा 80 वर्ष 2012, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पीलीभीत के न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जो दिनांक 20.03.2020 के आदेश द्वारा निस्तारित हुए। याची का कथन है कि उक्त आदेश के आधार पर वह विधिक उत्तराधिकारी है तथा अंतिम सेवा लाभों का अधिकारी है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याची की प्रार्थना यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 6, मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत को निर्देशित किया जाए कि वे ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, बीमा, जी.पी.एफ. आदि के भुगतान के संबंध में याची के दावे पर विचार करें।
4. राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याची के दावे का परीक्षण प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
5. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कथनों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ **निस्तारित** की जाती है कि याची, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा इस आदेश की

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए एक समग्र अभ्यावेदन प्रत्यर्थी संख्या 6 के समक्ष प्रस्तुत करे।
उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी संख्या 6 विधि के अनुसार याची के दावे पर विचार करते हुए आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर निर्णय लेंगे।

दिनांक : 10 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।